ए.

चंडीगढ़ नर्सिंग होम और ए. एन. आर.

वी.

सुखदीप कौर

(2022 की सिविल अपील संख्या 5931)

बी.

सितंबर 09,2022

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 -धारा 21 (बी)-भारत का संविधान-अनुच्छेद 142-प्रत्यर्थी, एक नाबालिग गलत निदान और उपचार से पीड़ित थी जिसके कारण उसके शरीर पर नियंत्रण से परे चकत्ते पड़ गए-उसके द्वारा अपने पिता के माध्यम से दायर शिकायत जिसमें अपीलार्थीगण के खिलाफ चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया गया था-जिला मंच ने अपीलार्थीगण को ब्याज के साथ 1 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया-अपीलार्थीगण द्वारा अपील, जिसे राज्य आयोग द्वारा लागत के साथ खारिज कर दिया गया था-अपीलार्थीगण द्वारा दायर संशोधन आवेदन, जिसे राष्ट्रीय आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया था, मुआवजे को बढ़ाकर Rs.10 लाख कर दिया गया-अपील पर कहा गया:किसी भी समय, प्रत्यर्थी ने मुआवजे की मात्रा से व्यथित जिला मंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती नहीं दी-इसलिए, जिला मंच द्वारा पारित आदेश ने जहां तक प्रत्यर्थी का संबंध है, अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है-इसके अलावा, अधिक से अधिक, राष्ट्रीय आयोग संशोधन आवेदन को तब तक खारिज कर सकता था जब तक कि वह विशेष रूप से स्वतः संज्ञानात्मक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नहीं करता।21(ख)-वर्तमान मामले में, यह प्रतीत नहीं होता है कि राष्ट्रीय आयोग ने स्वतः संज्ञानात्मक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया-अन्यथा, किसी भी ठोस कारण और/या सामग्री के अभाव में, राष्ट्रीय आयोग मुआवजे की राशि बढ़ाने में उचित नहीं है-मुआवजे की राशि व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है, नुकसान और/या विकलांगता को देखते हुए-केवल इसलिए कि कुछ मामलों में, मुआवजे को बढ़ाया गया है, इसे अन्य मामलों में बढ़ाया नहीं जा सकता है-राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित विवादित आदेश को अलग रखा गया है-हालांकि, तथ्यों

पर, अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुआवजे को बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** जिला फोरम ने एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की। मूल वादी को मुआवजे के रूप में **1** लाख।हालाँकि, मूल वादी ने इस मामले को राज्य आयोग और यहाँ अपीलार्थीगण के सामने आगे नहीं बढ़ाया-मूल विरोधी थे

एच.

432 ए.

433

चंडीगढ़ नर्सिंग होम एंड ए. एन. आर. वी.सुखदीप कौर ए

जिला मंच के आदेश से व्यथित होकर राज्य आयोग के समक्ष अपील की गई।राज्य आयोग ने अपील को खारिज कर दिया और इसमें अपीलार्थीगण-मूल प्रत्यर्थीगणओं ने राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश से व्यथित होने के कारण राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पुनरीक्षण याचिका/आवेदन को प्राथमिकता दी।किसी भी समय, मूल वादी ने जिला मंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती नहीं दी जो जिला मंच द्वारा निर्धारित मुआवजे की मात्रा से व्यथित था। इसलिए, जहां तक मूल वादी का संबंध है, जिला मंच द्वारा पारित आदेश को अंतिम रूप दिया गया है।राज्य आयोग द्वारा पुष्टि किए गए जिला मंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले मूल प्रत्यर्थीगणओं-अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत एक पुनरीक्षण आवेदन में, राष्ट्रीय आयोग ने पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ा दी है।अधिक से अधिक, राष्ट्रीय आयोग संशोधन आवेदन को तब तक खारिज कर सकता था जब तक कि राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, **1986** की धारा **21 (**बी**)** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से स्वतः संज्ञानात्मक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नहीं करता। वर्तमान मामले में, राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि राष्ट्रीय आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षण विधि का प्रयोग किया है। यहाँ तक कि अपीलार्थीगण-मूल संशोधनवादियों को भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई

थी कि राष्ट्रीय आयोग को पुनरीक्षण शक्ति-स्वतः संज्ञानात्मक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में मुआवजे की राशि को बढ़ाना है।इसमें अपीलार्थीगण-मूल संशोधनवादी आश्चर्यचकित हैं और राष्ट्रीय आयोग ने उन्हें कोई अवसर दिए बिना मुआवजे की राशि बढ़ा दी है।इसलिए, इस आधार पर भी, राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा यहां दिए गए पुनरीक्षण आवेदन में मुआवजे की राशि में वृद्धि की गई है, अस्थिर है।अन्यथा भी, किसी भी ठोस कारण और/या सामग्री के अभाव में, राष्ट्रीय आयोग मुआवजे की राशि को बढ़ाकर **5** लाख रुपये करना उचित नहीं है। **10** लाख।मुआवजे की राशि को बढ़ाकर रु। राष्ट्रीय आयोग ने अभी-अभी पैराग्राफ **14** में इस न्यायालय के कुछ फैसलों का उल्लेख किया है और उसके बाद मुआवजे की राशि को तुरंत बढ़ा दिया है।मुआवजे की राशि नुकसान और/या अक्षमता को देखते हुए व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

पीड़ित/निरंतर।केवल इसलिए कि कुछ मामलों में मुआवजे की राशि बढ़ाई गई है, अन्य मामलों में मुआवजे की राशि नहीं बढ़ाई जा सकती है।मुआवजे की राशि को बढ़ाकर रु। **10** लाख के रूप में, राष्ट्रीय आयोग ने वादी को हुई अक्षमता पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की है। इसलिए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में मुआवजे की राशि को बढ़ाकर **5** लाख रुपये कर दिया गया है। **10** लाख अस्थिर है।हालांकि, उसी समय, लापरवाही को साबित करने और वादी द्वारा आघात और पीड़ा को देखते हुए, और यह कि प्रासंगिक समय पर मुआवजे का निर्धारण रु। केवल **1** लाख और यह कहा जाता है कि परिवार ने उसके इलाज और दवाओं के लिए हजारों रुपये खर्च किए हैं और आज भी वादी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और उसका इलाज चल रहा है। वादी को पर्याप्त न्याय देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद **142** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मंच द्वारा दिए गए **1** लाख रुपये को बढ़ाने की आवश्यकता है।राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश ने मुआवजे की राशि को बढ़ाकर **5** लाख रुपये कर दिया। **10** लाख को रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है।हालाँकि, भारत के संविधान के

अनुच्छेद **142** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बताए गए कारणों के लिए**,** अपीलकर्ताओं को कुल रु। **4** लाख **(**रुपये के बजाय**)**। अपीलार्थीगण द्वारा जमा की गई राशि में कटौती करने के बाद**,** जिला मंच द्वारा प्रत्यर्थी को **1** लाख रुपये दिए जाते हैं। अपीलार्थीगण को आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पहले से जमा की गई राशि में कटौती करने के बाद मूल वादी शेष राशि का भुगतान करना होगा**,** जिसमें विफल रहने पर **7.5** प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।**[**पैरा **7-7.2,8] [437-**एफ**-**एच**; 438-**ए**-**एच**; 439-**ए**-**बी**,** डी**-**ई**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 5931।

2013 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 4677 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 03.01.2022 के निर्णय और आदेश से।

जी.

अपीलार्थीगण की ओर से गोपाल शंकरनारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता, मयंक पांडे, अधिवक्ता।

के. के. मोहन, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता।

एच.

435

चंडीगढ़ नर्सिंग होम एंड ए. एन. आर. वी.सुखदीप कौर ए

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. 2013 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 4677 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (जिसे इसके बाद "राष्ट्रीय आयोग" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत एक पुनरीक्षण याचिका में-मूल प्रत्यर्थीगणओं, राष्ट्रीय आयोग ने मुआवजे की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ा दिया है। जिला फोरम द्वारा 1 लाख

रुपये का पुरस्कार दिया गया। 10 लाख, मूल प्रत्यर्थीगणओं ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।2. वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा बहुत संकीर्ण दिशा में है।

बी.

सी.

3. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः- 3.1 इसमें प्रत्यर्थी-मूल वादी , एक नाबालिग ने अपने पिता के माध्यम से जिला मंच के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की, जिसमें अपीलार्थीगण के खिलाफ चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाया गया, जो गलत निदान और गलत उपचार से पीड़ित थे, जिसके कारण उनके शरीर पर चकत्ते हो गए, और जो नियंत्रण से बाहर हो गया।यह आरोप लगाया गया था कि उसका इलाज करने वाला डॉक्टर बी. ए. एम. एस. (आयुर्वेद डॉक्टर) था और एलोपैथिक दवाएं लिखने में सक्षम नहीं था, जो चिकित्सा लापरवाही के बराबर है।3.2 जिला फोरम ने दिनांक 11.03.2010 के आदेश द्वारा अपीलार्थीगण को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। आदेश की तारीख से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 1 लाख रुपये, यह मानते हुए कि अपीलार्थीगण की ओर से लापरवाही की गई थी।

डी.

ई.

3.3 जिला फोरम द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थीगण ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंजाब (जिसे इसके बाद "राज्य आयोग" के रूप में संदर्भित किया गया है) के समक्ष अपील की।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जहां तक मूल वादी का संबंध है, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मूल वादी ने मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए राज्य आयोग के समक्ष कोई अपील नहीं की थी और यह अपीलार्थीगण थे, जिन्होंने राज्य आयोग के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी थी। राज्य आयोग ने उक्त अपील को रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया। 10, 000/-।3.4 अपील को खारिज करते हुए राज्य आयोग द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित होकर और जिला मंच द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए 500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई। के लिए 1 लाख

एफ.

जी.

एच.

क्षतिपूर्ति, यह अपीलार्थीगण थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पुनरीक्षण याचिका/आवेदन को प्राथमिकता दी।

3.5 इसमें अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका/आवेदन को खारिज करते हुए, राष्ट्रीय आयोग ने मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। 10 लाख।राष्ट्रीय आयोग द्वारा मुआवजे की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने के आदेश से व्यथित। 10 लाख, वह भी, अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका/आवेदन में, मूल विरोधियों/अपीलार्थीगण ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

4. श्री गोपाल शंकरनारायण, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलार्थीगण की ओर से पेश हुए हैं और श्री के. के. मोहन, विद्वान अधिवक्ता , प्रत्यर्थी-मूल वादी की ओर से पेश हुए हैं।5. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायण ने राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुष्टि किए गए जिला मंच द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर अपीलार्थीगण की ओर से की गई लापरवाही को साबित करने पर हमला किया है।हालाँकि, चूंकि अपीलार्थीगण की ओर से लापरवाही पर जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं, इसलिए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों के प्रयोग में तथ्यों के उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

सी.

डी.

ई.

5.1 तथापि, इसके साथ ही, अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह प्रस्तुत करने में सही हैं कि जिला मंच द्वारा पारित आदेश से व्यथित अपीलार्थीगण द्वारा दिए गए पुनरीक्षण आवेदन में, एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। मुआवजे के लिए 1 लाख रुपये, और यह कि जब मूल वादी द्वारा राज्य आयोग के समक्ष न तो कोई अपील की गई थी, और न ही उसके बाद मूल वादी द्वारा राष्ट्रीय आयोग के समक्ष कोई और अपील और/या पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया था, तो राष्ट्रीय आयोग अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन/याचिका में मुआवजे की राशि को बढ़ाने में उचित नहीं था। अपीलार्थीगण की ओर से यह भी मामला है कि अन्यथा और इस तरह के रूप में भी रुपये का बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान करते समय। राष्ट्रीय आयोग ने किसी भी प्रकार की अक्षमता पर विचार नहीं किया है और अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, रुपये देने का कोई आधार नहीं है। मुआवजे के रूप में 10 लाख।

एफ.

जी.

एच.

437

चंडीगढ़ नर्सिंग होम एंड ए. एन. आर. वी.सुखदीप कौर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

5.2 अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय आयोग ने विवादित निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 14 में निर्दिष्ट इस माननीय न्यायालय के कुछ फैसलों पर विचार किया है। तथापि, अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, मुआवजे की राशि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है और वादी की अक्षमता और/या पीड़ा पर निर्भर करती है और यह मामले-दर-मामले भिन्न होती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि कुछ मामलों में मुआवजे की राशि को अन्य मामलों में बढ़ाया गया है, मुआवजे की राशि को स्वचालित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

बी.

सी.

6. दूसरी ओर, मूल वादी -प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री के. के. मोहन ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 21 (बी) पर बहुत अधिक भरोसा किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 21 (बी) पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि राष्ट्रीय आयोग के पास स्वतः संज्ञानात्मक पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र है और इसलिए, वादी द्वारा पसंद की गई किसी भी अपील और/या पुनरीक्षण आवेदन के अभाव में भी, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 21 (बी) के तहत प्रदत्त स्वतः संज्ञानात्मक पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ा सकता है। वैकल्पिक रूप से, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि वादी की शारीरिक स्थिति को देखते हुए और आज भी वह पीड़ित है, इसलिए, यह न्यायालय राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित विवादित निर्णय और मुआवजे की राशि बढ़ाने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

डी.

ई.

7. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, यह सामने आता है कि जिला मंच ने रु। मूल वादी को मुआवजे के रूप में 1 लाख।हालांकि, मूल वादी ने

मामले को राज्य आयोग के समक्ष आगे नहीं बढ़ाया और इसमें अपीलार्थीगण-मूल विरोधियों ने जिला मंच के आदेश से व्यथित होकर राज्य आयोग के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। राज्य आयोग ने अपील को खारिज कर दिया और इसमें अपीलार्थीगण-मूल प्रत्यर्थीगणओं ने राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश से व्यथित होने के कारण राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पुनरीक्षण याचिका/आवेदन को प्राथमिकता दी।किसी भी समय, मूल वादी ने जिला मंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती नहीं दी जो जिला मंच द्वारा निर्धारित मुआवजे की मात्रा से व्यथित था। इसलिए, जिला फोरम द्वारा पारित आदेश प्राप्त हुआ

एफ.

जी.

एच.

जहां तक मूल वादी का संबंध है, अंतिमता।राज्य आयोग द्वारा पुष्टि किए गए जिला मंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले मूल प्रत्यर्थीगणओं-अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत एक पुनरीक्षण आवेदन में, राष्ट्रीय आयोग ने पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ा दी है।अधिक से अधिक, राष्ट्रीय आयोग संशोधन आवेदन को तब तक खारिज कर सकता था जब तक कि राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 21 (बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से स्वतः संज्ञानात्मक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नहीं करता।वर्तमान मामले में, राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि राष्ट्रीय आयोग ने स्वतः संज्ञानात्मक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया है।यहाँ तक कि अपीलार्थीगण-मूल संशोधनवादियों को भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि राष्ट्रीय आयोग को पुनरीक्षण शक्ति-स्वतः संज्ञानात्मक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में मुआवजे की राशि को बढ़ाना है।इसमें अपीलार्थीगण-मूल संशोधनवादी आश्चर्यचकित हैं और राष्ट्रीय आयोग ने उन्हें कोई अवसर दिए बिना मुआवजे की राशि बढ़ा दी है।इसलिए, इस आधार पर भी, राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा यहां दिए गए पुनरीक्षण आवेदन में मुआवजे की राशि में वृद्धि की गई है, अस्थिर है।

बी.

सी.

डी.

7.1 अन्यथा भी, किसी भी ठोस कारण और/या सामग्री के अभाव में, राष्ट्रीय आयोग मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना उचित नहीं है। 10 लाख।मुआवजे की राशि को बढ़ाकर रु। राष्ट्रीय आयोग ने अभी-अभी पैराग्राफ 14 में इस न्यायालय के कुछ फैसलों का उल्लेख किया है और उसके बाद मुआवजे की राशि को तुरंत बढ़ा दिया है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नुकसान और/या अक्षमता को देखते हुए मुआवजे की राशि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है।केवल इसलिए कि कुछ मामलों में मुआवजे की राशि बढ़ाई गई है, अन्य मामलों में मुआवजे की राशि नहीं बढ़ाई जा सकती है।मुआवजे की राशि को बढ़ाकर रु। 10 लाख के रूप में, विद्वान राष्ट्रीय आयोग ने वादी द्वारा पीड़ित विकलांगता पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की है।इसलिए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। 10 लाख अस्थिर है।

ई.

एफ.

जी.

7.2 हालांकि, साथ ही, हमारी राय है कि लापरवाही को साबित करने और वादी द्वारा आघात और पीड़ा को देखते हुए, और यह कि प्रासंगिक समय पर मुआवजे का निर्धारण ए

एच.

439

चंडीगढ़ नर्सिंग होम एंड ए. एन. आर. वी.सुखदीप कौर [एम. आर. शाह, जे.]

रु. था। केवल 1 लाख और यह कहा गया है कि परिवार ने उसके इलाज और दवाओं के लिए हजारों रुपये खर्च किए हैं और इसलिए जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि आज भी वादी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और उसका इलाज चल रहा है, हमारी राय है कि रु। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मंच द्वारा दिए गए 1 लाख रुपये को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वादी को पर्याप्त न्याय मिल सके।हमारी राय है कि यदि मुआवजे की राशि को बढ़ाकर कुल रु। 4 लाख (रुपये के बजाय)। जिला फोरम द्वारा दिए गए 1 लाख रुपये), वही न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।

बी.

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। 10 लाख को निरस्त कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है।हालाँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हम अपीलकर्ताओं को कुल रु। 4 लाख (रुपये के बजाय)। अपीलार्थीगण द्वारा जमा की गई

राशि में कटौती करने के बाद, जिला मंच द्वारा प्रत्यर्थी को 1 लाख रुपये दिए जाते हैं।हम अपीलार्थीगण को आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पहले से जमा की गई राशि को काटने के बाद मूल वादी शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं, जिसमें विफल रहने पर 7.50 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।मूल वादी को अपीलार्थीगण द्वारा पहले से जमा की गई राशि को उस पर उपार्जित ब्याज के साथ निकालने की अनुमति है, जिसका भुगतान मूल वादी को खाता प्राप्तकर्ता चेक द्वारा किया जाएगा और/या बैंक खाते का विवरण देने पर, इसे मूल वादी के बैंक खाते में जमा/जमा किया जाएगा।

सी.

डी.

ई.

वर्तमान अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

एफ.

दिव्या पांडे

अपील का निपटारा किया गया।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

जी.

एच.